न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :—सुदर्शन सिंह तोमर आर.ए.एस., कार्यावाहक जिला कलक्टर धौलपुर

अपील (प्रकरण) संख्या :— 09/2022 जीसीएमएस न0 2022/17

उनवानी प्रकरण :—

मुनेन्द्र सिंह पुत्र श्री ध्रुव सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम बीझौली तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, बीझौली उचित मूल्य दुकान पोश मशीन संख्या 18476 ग्राम बीझौली तह0 सरमथुरा जिला धौलपुर ——— अपीलान्ट।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी धौलपुर ———————— रेस्पोडेन्ट।

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

अपील अन्तर्गत क्लॉज 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 विरूद आदेश जिला रसद अधिकारी धौलपुर दिनांक 15.02.2021

उपस्थिति :—

अपीलान्ट की ओर से :— श्री किशन सिंह त्यागी अभिभाषक।
रेस्पोडेण्ट की ओर से :— समीक्षा दिनकर प्रवर्तन निरीक्षक कार्या0 जिला रसद अधिकारी धौलपुर

निर्णय दिनांक 30.06.2022

अपीलान्ट द्वारा यह अपील जिला रसद अधिकारी धौलपुर के निर्णय दिनांक 15.02.2021 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि:— अपीलान्ट के विरूद्व राशन वितरण में अनियमितता के बारे में शिकायतें राजनितिक प्रेरित रही जिसकी जांच निष्पक्ष रूप से अपीलान्ट की उपस्थिति में नहीं की गई ना ही अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया ना ही जॉच से पूर्व कोई नोटिस अपीलान्ट को दिया गया। इसलिये आक्षेपित आदेश विधि विरूद्व एवं प्राकृतिक न्यायिक सिद्वांतो के विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट को दिनांक 14.08.2020 को राशन वितरण में अनियमितताओं के बावत नोटिस—पत्र कमांक 1938 से प्रेषित किया तथा दिनांक 25.08.2020 तक जबाव देने के लिये कहा गया है। लेकिन इस नोटिस की विधिवत कोई तामील अपीलान्ट पर नहीं हुई। अपीलान्ट को कारण बताओं नोटिस दिनांक 14.08.2020 को पत्र कमांक 1939 से जारी किया और प्राधिकार पत्र अपीलान्ट दिनांक 14.08.2020 को ही पत्र कमांक 1927 से निलम्बित कर दिया जो गैर कानूनी है। अपीलान्ट को नोटिस पर

सुने बिना नोटिस जारी होने से पूर्व निलम्बन आदेश पारित किया था जो प्राकृतिक न्यायिक सिद्वान्तों के विपरीत है। रेस्पो0 ने दिनांक 08.02.2021 को अपने पत्र कमांक स्पेशल–1 से अपीलान्ट को नोटिस दिया कि राशन वितरण में अनियमितताऐं पाई गई है इसका जबाव अपीलान्ट को उसी दिवस दिनांक 08.02.2021 तक प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया इस नोटिस की तामील अपीलान्ट पर नहीं कराई गई। नोटिस वाला–वाला रेस्पो0 ने तैयार कर कार्यालय में ही स्वंय तामील मानकर मनमाने तरीके से आक्षेपित आदेश के माध्यम से अपीलान्ट के प्रधिकार पत्र को निरस्त कर दिया जो विधि विरूद्व है तथा प्राकृतिक न्यायिक सिद्वान्तों के विपरीत है जो आक्षेपित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट के प्राधिकार पत्र के निलम्बन के आदेश दिनांक 14.08.2020 के विरूद्व एस.बी.सिविल रिट पिटीशन नम्बर 10124/2020 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में आक्षेपित आदेश दिनांक 15.02.2021 के दिन विचाराधीन थी तथा दिनांक 16.11.2020 को पारित स्टे आदेश से निलम्बन आदेश दिनांक 14.8.2020 का प्रभाव स्टे कर दिया गया था। लेकिन मैटर सबज्युडिश होते हुए भी आक्षेपित आदेश रैस्पो0 ने गैर कानूनी तौर पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में विचाराधीन मैटर को नजरअन्दाज कर पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी को दिनांक 8.2.2021 को अन्तिम नोटिस दिया गया है जो कार्यालय कार्यवाही में यानि रैस्पो0 के कार्यालय में संधारित जांच पत्रावली की कार्यालय टिप्पणी में अपीलार्थी को नोटिस जारी करने का कोई आदेश नहीं है तथा दिनांक 8.2.2021 की कार्यालय टिप्पणी आगामी सुनवाई हेतु पहले कोई अन्य तारीख कायम की गई है बाद में कटिंग कर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट ने आक्षेपित आदेश को पूर्व में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नम्बर 3823/2021 प्रस्तुत की थी जिसे दिनांक 19.8.2021 के आदेश के माध्यम से प्राकृतिक न्यायिक सिद्वांतो के अन्तर्गत सुनवाई का अपीलांन्ट को मौका नहीं मिला था इसलिये रिट अपीलान्ट खारिज की गई। अपीलान्ट प्राकृतिक न्यायिक सिद्वंतो के अन्तर्गत अपने आक्षेप अपील के माध्यम से न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत कर रहा है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के आदेश दिनांक 19.8.2021 के बाद कोरोना महामारी की वजय से कार्यवाहियां प्रभावित थी इसलिये अपीलान्ट ने अपना बाहर आना जाना रोक रखा था। अव अपने अधिवक्ता से सर्म्पक कर वर्तमान अपील प्रस्तुत की जा रही है। अपीलान्ट ने जान बूझकर अपील प्रस्तुत करने में देरी नहीं की है। आक्षेपित आदेश विधि विरूद्व है। जिसे कभी भी आक्षेपित किया जा सकता है। ऐसे आदेश के लिये म्याद आकर्षित नहीं होती है। इसलिये अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत है। धारा–5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रथक से संलग्न है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.02.2021 अपास्त किया जावे ।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के साथ अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.02.2021, नकल नोटिस स्पे01 दिनांक 8.2.2021, नकल कार्या0 टिप्पणी दिनांक 13.8.20 से 15.2.2021, फोटोप्रति आदेश 19.8.21 एंव 26.11.20 मान.राज.उच्च न्याया. जयपुर की प्रमाणित प्रति पेश किये है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया कि उन्हें इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से समीक्षा दिनकर प्रवर्तन निरीक्षक कार्या0 जिला रसद अधिकारी धौलपुर उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर अपील की पत्रावली के साथ संलग्न की गई।

सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षों को सुना जाना उचित समझते है। धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की वहस सुनी गई। प्रस्तुत वहस पर मनन करने के पश्चात अपीलान्ट का धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाता है। अतः प्रस्तुत अपील का गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना हम उचित समझते है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट को दिनांक 14.08.2020 को राशन वितरण में अनियमितताओं के बावत नोटिस–पत्र कमांक 1938 से प्रेषित किया तथा दिनांक 25.08.2020 तक जबाव देने के लिये कहा गया है। लेकिन इस नोटिस की विधिवत कोई तामील अपीलान्ट पर नहीं हुई। अपीलान्ट को कारण बताओं नोटिस दिनांक 14.08.2020 को पत्र कमांक 1939 से जारी किया और प्राधिकार पत्र अपीलान्ट दिनांक 14. 08.2020 को ही पत्र कमांक 1927 से निलम्बित कर दिया जो गैर कानूनी है। अपीलान्ट को नोटिस पर सुने बिना नोटिस जारी होने से पूर्व निलम्बन आदेश पारित किया था जो प्राकृतिक न्यायिक सिद्वान्तों के विपरीत है। अपीलार्थी को दिनांक 8.2.2021 को अन्तिम नोटिस दिया गया है जो कार्यालय कार्यवाही में यानि रैस्पो0 के कार्यालय में संधारित जांच पत्रावली की कार्यालय टिप्पणी में अपीलार्थी को नोटिस जारी करने का कोई आदेश नहीं है तथा दिनांक 8.2.2021 की कार्यालय टिप्पणी आगामी सुनवाई हेतु पहले कोई अन्य तारीख कायम की गई है बाद में कटिंग कर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। आक्षेपित आदेश विधि विरूद्व, प्राकृतिक न्यायिक सिद्वातों के विरूद्व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विरूद्व पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेण्ट की ओर से उपस्थित समीक्षा दिनकर प्रवर्तन निरीक्षक कार्या0 जिला रसद अधिकारी धौलपुर ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अपीलान्ट के विरूद्व शिकायत की जॉच प्रवर्तन निरीक्षक श्री विजयपाल मुख्यालय धौलपुर द्वारा मौके पर जाकर की गई है। अपीलार्थी द्वारा राशन वितरण में अनियमितताऐं करने के कारण राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का स्पष्ट उल्लंधन करने पर कार्यालय के आदेश कमांक 1927 दिनांक 14.08.20 द्वारा निलंबित किया गया। अपीलार्थी द्वारा राशन वितरण में अनियमितताऐं करने पर अपना जबाव पस्तुत करने हेतु कार्यालय द्वारा नोटिस कमांक 1939 दिनांक 14.08.20 जारी किया गया। अपीलार्थी राशन डीलर पर नोटिस की विधिवत तामील होने के बावजूद भी उसके द्वारा नोटिस का जबाव प्रस्तुत

नहीं किया गया। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 28.12.20 को माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 10124/2020 पेश की जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस कार्यालय के निलम्बन आदेश दिनांक 14.8.2020 को स्टे कर दिया गया। अपीलान्ट ने अपने जबाव में पूरा स्टॉक होना बताया है जबकि उसके द्वारा वैकल्पिक उचित मूल्य दुकानदार को पूरे स्टॉक का स्थानान्तरण नहीं किया गया है। अतः अपीलान्ट द्वारा राशन वितरण में गम्भीर अनियमिततायें किये जाने पर उसको जारी प्राधिकार पत्र कार्यालय के आदेश कमांक 234 दिनांक 15.2.2021 के द्वारा निरस्त किया गया है। आदेश दिनांक 15.02.2021 सही है इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.02.2021 यथावत रखा जावे ।

हमने दोनों पक्षों की प्रस्तुत वहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। अपीलार्थी का कथन है कि आक्षेपित आदेश से पूर्व किसी भी प्रकार के नोटिस की कोई तामली अपीलार्थी पर नहीं हुई एवं कथित प्रकरण व जांच रिपोर्ट की प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना आक्षेपित आदेश पारित किया है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तो के विपरीत पारित किया गया है। हमने अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी धौलपुर से प्राप्त पत्रावली का अवलोकन किया अवलोकन करने ये जाहिर होता है कि कार्यालय जिला रसद अधिकारी धौलपुर ने दिनांक 08.02.2021 को अपने पत्र कमांक स्पेशल–1 से अपीलान्ट को नोटिस दिया कि राशन वितरण में अनियमितताऐं पाई गई है इसका जबाव अपीलान्ट को उसी दिवस दिनांक 08.02.2021 तक प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया इस नोटिस की तामील अपीलान्ट पर नहीं हुई है। अपीलार्थी को दिनांक 8.2.2021 को अन्तिम नोटिस दिया गया है जो कार्यालय कार्यवाही में संधारित जांच पत्रावली की कार्यालय टिप्पणी में अपीलार्थी को नोटिस जारी करने का कोई आदेश नहीं है तथा दिनांक 8.2.2021 की कार्यालय टिप्पणी आगामी सुनवाई हेतु पहले कोई अन्य तारीख कायम की गई है बाद में कटिंग कर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्व है तथा प्राकृतिक न्यायिक सिद्वान्तों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को नोटिस की तामील कराये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तो के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि कार्यालय जिला रसद अधिकारी धौलपुर ने अपने पत्र कमांक 2364 दिनांक 29.9.2020 के द्वारा श्री विजयपाल सिंह प्रवर्तन निरीक्षक मुख्यालय धौलपुर को जारी पत्र में यह अंकित किया गया है कि **"अपीलान्ट राशन डीलर द्वारा प्रस्तुत जबाव में यह बताया है कि उसकी दुकान का भौतिक सत्यापन सही तरीके से नहीं किया गया है उसने अपनी दुकान का पूरा स्टॉक उपलब्ध बताया है एवं सभी उपभोक्ताओं को नियमानुसार राशन सामग्री का वितरण करना बताया जाकर इसकी कार्यालय द्वारा कभी भी शिकायतकर्ताओं से पूछताछ एवं जॉच कराये जाने का निवेदन किया है प्रस्तुत जबाव की जॉच कर सत्यापन रिपोर्ट दिनांक 08.10.2020 से पूर्व प्रस्तुत करें जिससे प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके "** लेकिन ऐसी कोई सत्यापन रिपोर्ट जॉच पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना एवं पत्रावली पुनः सुनवाई कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जाता उचित समझते हैं ।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.2.2021 अपास्त किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें । निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली वापिस भिजवाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हों ।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुदर्शन सिंह तौमर)
कार्यवाहक जिला कलक्टर, धौलपुर
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)